

न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.- 20/2018

दिनांक- 1-8-018

सरकार बनाम महेश
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कांसली ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली के ख0 न0 334/0.10 किस्म जमीन गै0मु0पाल मेंसे 0.01है0 पर मेड लगा कर महेश पुत्र फूलचन्द जाति अहीर निवासी कांसली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायल को बार- बार अवसर दिया जाने के उपरान्त भी गैर-सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैरसायल महेश पुत्र फूलचन्द जाति अहीर निवासी कांसली तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली के ख0 न0 334 रकबा 0.10 किस्म जमीन गै0मु0पाल मेंसे 0.01है पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर से मेड को हटाया जाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी0 0.06का पचास गुणा 3रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे ।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 1-8-18 को सरे इजलास सुनाया गया ।



दिनांक 20/8-019. क. 31
5 पृष्ठ संख्या 32 पर 32
नियम कायम किये गये ।

49
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली